[illegible] उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

[illegible]
[illegible] पुत्र [illegible] दत्तक पुत्र रामनाथ जाति चमार निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल
[illegible]

....वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

♠ बनाम ♠

1. [illegible] पुत्र श्री भैरू जाति चमार निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
1/1 [illegible] चन्द पुत्र गोपाल जाति चमार निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
1/2 [illegible] पुत्र गोपाल जाति चमार निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
1/2/1 मोहनी बाई बेवा धनराज
1/2/2 पुरुषोत्तम पुत्र धनराज
1/2/3 दीपू पुत्र धनराज
} जातियान चमार निवासीगण किशनपुरा तहसील मांगरोल

1/3 [illegible] पुत्र
1/4 [illegible] पुत्र
1/5 भवानीशंकर पुत्र
1/6 ममता कुमार पुत्री
1/7 राजेश बाई पुत्री
1/8 शिमला बाई पुत्री
1/9 भैरी बाई बेवा
} गोपाल जातियान चमार निवासीगण किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

2. छीतर पुत्र ग्यारस्या जाति चमार निवासी किशनपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
2/1 बाबूलाल पुत्र
2/2 बनवारी लाल पुत्र
2/3 जुगराज पुत्र
2/4 राजू पुत्री
2/5 मोसमी पुत्री नाबालिग जर्ये वली माता नारायणी
2/6 जानकी पुत्री
2/7 फिलवन्दा नाबालिग जर्ये वली माता नारायणी
} छीतरलाल जाति बैरवा निवासी किशनपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
2/8 नारायणी बेवा

3. देवकन्या पत्नि लटूर लाल जाति चमार निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
4. समदरा बाई पत्नि श्री भजना पुत्री ग्यारस्या जाति चमार निवासी रावल जावल तह0 मांगरोल
5. कमलेश बाई पुत्री ग्यारस्या जाति चमार निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
6. कलावती बाई पत्नि श्री महावीर पुत्री ग्यारस्या जाति चमार निवासी माल बमोरी तहसील मांगरोल
7. इन्द्रा बाई पत्नि श्री शम्भू पुत्री ग्यारस्या जाति चमार निवासी खेडली रूण तहसील पीपल्दा जिला कोटा
8. मनभर पुत्री ग्यारस्या जाति चमार निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

... तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

...प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषित करने खातेदार

अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राज0 टी0 एक्ट0

... : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

... : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

... : श्री के0 के0 सोनी, श्री हरिओम यादव

निर्णय दिनांक : 06.12.2018

... : 10.11.2001

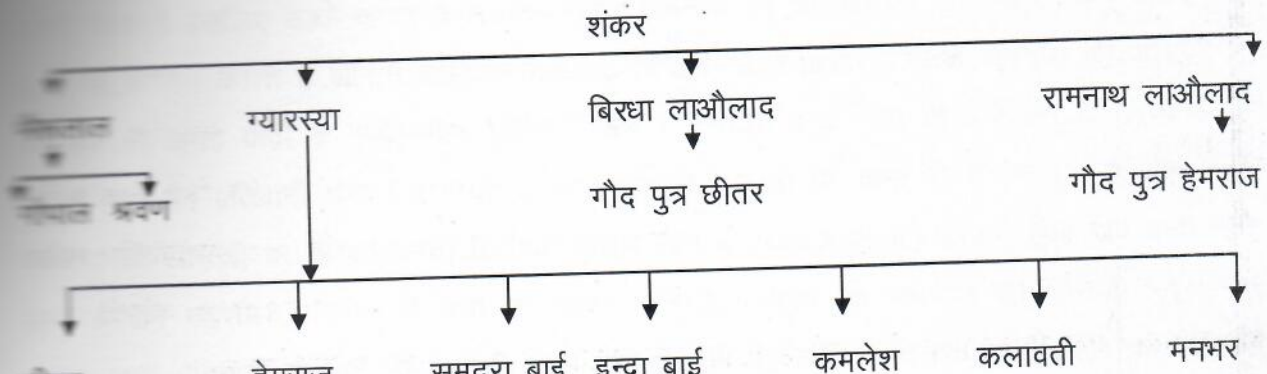

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 ... के सदस्य है जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

जमाबंदी सम्वत 2026–2029 तक ग्राम किशनपुरा में भैरू, रामनाथ, ग्यारस्या और बिरधा का नाम दर्ज हो रहा है, उपरोक्त खातेदारान के आराजी खसरा नं0 217 की 14 बिस्वा सोयम, खसरा नं0 213 की 11 बिस्वा, खसरा नं0 229 की 41 बीघा 10 बिस्वा सरे सोयम खसरा नं0 345 की आराजी 1 बीघा 12 बिस्वा उतार अव्वल खसरा नं0 449 की 13 बिस्वा खेडा खसरा नं0 526 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा सरे सोयम खसरा नं0 529 की 11 बीघा 11 बिस्वा, सरे सोयम खसरा नं0 373/641 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा सरे सोयम मेर घास और खसरा नं0 581/781 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा कुल 79 बीघा 15 बिस्वा दर्ज हो रही है, सभी खातेदार का हिस्सा बराबर जमाबंदी में दर्ज है। यह कि जमाबंदी सम्वत 2034 से 2037 तक में भैरू की जगह 1/4 हिस्से में घीसी बेवा भैरू, गोपाल, श्रवण पुत्र भैरू का नाम दर्ज हो रही है जबकि 3/4 में रामनाथ, ग्यारस्या और बिरधा का नाम दर्ज हो रहा है जबकि 3/4 में रामनाथ, ग्यारस्या और बिरधा का नाम दर्ज हो रहा है। स्व0 रामनाथ के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 214 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 215 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 577 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 626 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 216/955 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 238/957 है0 कुल 3.04 है0 दर्ज हो रहा है। यह कि

[illegible] से स्पष्ट है कि सम्वत 2026–2029 की जमाबंदी में चारो भाईयों भैरू, ग्यारस्या, [illegible] नाम दर्ज है व हिस्सा बराबर है, भैरू के फौत हो जाने पर उसकी जगह घीसी बेवा [illegible] पुत्र को वारिस बनाया गया है। बिरधा और रामनाथ लाऔलाद थे और इन दोना ने [illegible] छीतर व हेमराज को बचपन से गोद ले रखा था इस तरह छीतर, बिरधा का दत्तक [illegible] ने हेमराज को अपना पुत्र मानते हुए वसीयत कर रखी थी तथा रामनाथ ने दिनांक [illegible] के समक्ष वादी के पक्ष में वसीयत कर दी थी। यहां पर उल्लेखनीय है कि छीतर [illegible] से ही क्रमशः बिरधा व रामनाथ के पास रहते थें इसकी शादी विवाह, लालन–पोषण [illegible] इन्ही दोनो ने किया। कानूनन मृतक रामनाथ का वादी उत्तराधिकारी है और मृतक रामनाथ के [illegible] आराजी पर जो कि मद नं0 4 में वर्णित है का वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्याय संगत [illegible] किशनपुरा ने भी वादी को ही मृतक रामनाथ का उत्तराधिकारी मानते हुए प्रमाण पत्र [illegible] है इसलिए कब्जे काश्त व लगातार मृतक रामनाथ की आराजी को वादी काश्त कर रहा है और [illegible] काबिज काश्त है लेकिन अंतकाल नं0 175 दिनांक 16.07.1998 से मृतक रामनाथ की आराजी पर [illegible] की जगह वादी के साथ–साथ प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 के नाम भी दर्ज कर दिये गये है जो [illegible] त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा रहा है और न ही [illegible] की आराजी पर हिस्सा बनता है। वाद कारण दिनांक 24.02.2001 को उत्पन्न हुआ जब वादी कर्ता [illegible] करवाने तहसील मांगरोल में गया तो हल्का पटवारी ने कहा कि रामनाथ की आराजी पर तुम्हारे [illegible] अन्य प्रतिवादी के नाम भी इंतकाल खुल गया है, इस पर वादी ने दिनांक 26.02.2001 को इंतकाल की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया और इसी दिना नकल मिलने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी का उक्त वर्णित मृतक रामनाथ की आराजी पर कब्जा है जो कि लगभग 30–35 साल से चला आ रहा है वादी रामनाथ का उत्तराधिकारी है लेकिन है लेकिन प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 वादी को बलपूर्वक आराजी पर से बेदखल कर देना चाहते है जिनको की कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है। अतः वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करें। अतः निवेदन कि वादी को वाद पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे और साथ ही एक स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण मद नं0 4 में वर्णित वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर अनाधिकृत प्रवेश न करें, वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवे, अन्य कोई न्यायाचित सहायता हो तो वह भी वादी को दिलवाई जावें।

इस आशय का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादी क्रम 1 गोपाल की ओर से वकील देवकीनन्दर ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जवाबदावा व काउन्टर क्लमें में वाद पत्र की मद नं0 2 को स्वीकार करने के अलावा सभी मद को अस्वीकार किया है, और विशेष

[illegible] में कथन किया कि धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिऐ बिना ही वाद पेश [illegible] नहीं है तथा न्यायालय श्रीमान को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नही है।

[illegible] में कथन किया कि वाद ग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्से का रेकार्डेड [illegible] अपना 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण खाते से अलग कराना चाहता है क्योकि वादी व अन्य [illegible] प्रतिवादी कम 1 को कब्जे काश्त में बाधा डालते है, अपने जवाब दावा में वसीयत को फर्जी [illegible] यह कथन किया है कि रामनाथ ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत नही की थी, हेमराज व [illegible] लेने वाली बात भी गलत माना है, तथा काउन्टर क्लेम व जवाब दावा पेश कर न्यायालय [illegible] की है कि वाद वादी खारिज फरमाया जावे तथा काउन्टर क्लेम स्वीकार करके प्रतिवादी कम 1 [illegible] 1/2 खाते से पृथक करके पृथक खाता दर्ज किया जावें।

प्रतिवादी कम 2 ता 8 ने जर्ये अधिवक्ता हरिश राजावत जवाब दावा पेश करके कथन किया कि वादी [illegible] ही मृतक रामनाथ का उत्तराधिकारी वारिस है रामनाथ की पगडी हेमराज के ही बांधी गई थी, [illegible] मृत्यु कार्यकम हेमराज वादी ने ही किऐ थे, हेमराज ही रामनाथ की आराजी को काश्त करता है, तथा प्रतिवादीगण का रामनाथ की आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है, मात्र हेमराज ही लगातार काश्त करता रहा है, और आज भी काबिज काश्त है, तथा वाद स्वीकार करने कि प्रार्थना की।

प्रतिवादी कम 1 के स्वर्गवास होने के पश्चात उसके कायम मुकामान 1/1 ता 1/9 रेकार्ड पर जर्ये अधिवक्ता देवकीनन्दर व मनोज गालव लिए गये तत्पश्चात प्रतिवादी कम 1/2 धनराज की मृत्यु होने पर उसके कायम–मुकामान 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 रेकार्ड पर जर्ये अधिवक्ता लिए गये तत्पश्चात सभी प्रतिवादीगण 1/1 ता 1/9 की ओर से वकील श्री के0 के0 सोनी ने वकालत नाम पेश किया।

वाद पत्र, जवाब दावा काउन्टर क्लेम, जवाब दावा प्रतिवादी कम 2 ता 8 के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

01. आया वाद पत्र की मद नं0 2 में दर्ज आराजी में मृतक रामनाथ का बराबर का हिस्सा है और मृतक रामनाथ अलग से खातेदार बन गया था। वादी
02. आया छीतर, बिरधा का दत्तक पुत्र है और वादी के पक्ष में मृतक रामनाथ ने वसीयत कर रखी थी। वादी
03. आया वादी बचपन से ही मृतक रामनाथ के पास रहता था, वह उसकी किया कम सभी वादी ने की थी व पगडी भी वादी ने बांधी थी। वादी

[illegible] आराजी पर वादी काबिज काश्त है, और खोला गया इंतकाल नं0 175 [illegible]

वादी

[illegible] दीवानी न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/गोद पत्र घोषित करवाये बिना [illegible] योग्य नही है।

प्रतिवादी

[illegible] प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 से वादी की कपट संधि है और प्रतिवादी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी [illegible] 1/2 हिस्से का रेकार्डेड सह खातेदार है।

प्रतिवादी

[illegible] वाद का श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त नही है।

प्रतिवादी

[illegible] प्रतिवादी क्रम 1 वादगस्त आराजी में 1/2 हिस्से का सहखातेदार और पृथक से अपने हिस्से की खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

[illegible] दादरसी

वादी हेमराज ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं के बयान पीडब्ल्यू 1 हेमराज पीडब्ल्यू 2 लटूर लाल पीडब्ल्यू 3 जमना शंकर व पीडब्ल्यू 4 बृजमोहन के बयान लेखबद्ध करवाये दस्तावेजी साक्ष्य में एक्स 1 नोटिस 80 सीपीसी, एक्स 2 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत किशनपुरा एक्स 3 तहरीर छीतरलाल एक्स 4 जमाबंदी सम्वत 2053–2056 खातेदार रामनाथ पुत्र शंकर चमार एक्स 5 मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं0 रामनाथ के खाते के एक्स 6 व एक्स 6 अ वसीयतनामा दिनांक 10.05.1990 फोटोप्रति व असल वसीयत नामा एक्स 7 जमाबंदी सम्वत 2034–37 खातेदार घींसी बेवा भैरू गोपाल श्रवण पुत्र भैरू हिस्सा 1/4 वगैरह। एक्स 8 जमाबंदी सम्वत 2026–29 खातेदार भैरू, ग्यारस्या, रामनाथ व बिरधा। एक्स 9 जमाबंदी सम्वत 2057–60 खातेदार गोपाल पुत्र भैरू। एक्स 10 जमाबंदी सम्वत 2057–60 छीतर दत्तक पुत्र बिरधा।

प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/9 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गयी है। और ना ही कोई दस्तावेज प्रदर्श करवाया है। पत्रावली दिनांक 03.12.2018 को प्रतिवादीगण 1/1 ता 1/9 की साक्ष्य में थी लेकिन साक्ष्य पेश नही करके प्रतिवादी हंसराज द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते और समय दिये जाने साक्ष्य पेश किया जिसे न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र लेकर उभय पक्ष की बहस सुनकर दिनांक 04.12.2018 को खारिज करते हुए साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर दी गयी। और बहस हेतु पत्रावली पेशी में ली गयी।

न्यायालय ने उभय पक्ष वकील वादी, वकील प्रतिवादी श्री के0 के0 सोनी, वकील श्री हरिओम यादव व श्री हरीश राजावत की बहस सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का भी ध्यान से अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष तनकी की जो बहस की गयी है। उसके अनुसार निम्न प्रकार से तनकी निर्णित की जाती है।

[illegible] को साबित करने का भार वादी पर था। वकील वादी ने बहस करते हुए [illegible] जमाबंदी सम्वत 2026–29 ग्राम किशनपुरा की आरे दिलाया और तर्क दिया कि [illegible] बिरधा बेटे शंकर के जात चमार दर्ज है। व हिस्सा बराबर है। आराजी [illegible] रकबा 79 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है वकील वादी ने कहां कि मृतक रामनाथ का बराबर [illegible] इसकी पुष्टि एक्स 7 जमाबंदी सम्वत 2034–37 से होती है। जिसमें भैरू के फौत हो [illegible] बेवा घींसी व पुत्र गोपाल 1/4 हिस्से के खातेदार दर्ज है। तथा शेष खातेदार [illegible] बिरधा 3/4 हिस्से पर खातेदार है। इस राजस्व रेकार्ड से भी रामनाथ का हिस्सा 1/4 [illegible] सेटलमेंट 2044–2063 चारों भाईयों ने अपने खाते अलग–अलग करवाकर स्वतंत्र खातेदार बन [illegible] एक्स 4 जमाबंदी सम्वत 2053–2056 रकबा 3.04 है0 का रामनाथ मृतक तन्हा खातेदार है। एक्स 9 जमाबंदी सम्वत 2057–60 में तन्हा खातेदार गोपाल पुत्र भैरू है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्तव 2057–60 में बिरधा की मृत्यु के पश्चात उसके दत्तक पुत्र छीतरलाल दत्तक पुत्र बिरधा रेकार्ड में खातेदार है। ग्यारस्या [illegible] का भी स्वतंत्र खाता है जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि एक्स [illegible] 10 और एक्स 4 के अनुसार रामनाथ का शामलाती हिस्सा 1/4 था। जो खाता पृथक करने पर उसके अकेले खाते में आराजी 3.04 है0 दर्ज हुई। उक्त जमाबंदी एक्स 4 है। इस रेकार्ड के अनुसार रामनाथ का हिस्सा 1/4 था। और रामनाथ एक्स 4 के अनुसार तन्हा पृथक से आराजी 3.04 है0 ग्राम किशनपुरा का खातेदार भी बन गया था। न्यायालय वकील वादी के तर्को से व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से सहमत है। वकील प्रतिवादी कम 2/1 ता 2/8 पूर्व में ही वाद को डिलिट करने की सहमति दे चुके है। वकील प्रतिवादी कम 1/1 ता 1/9 राजस्व रेकार्ड के विरूद्व नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी नं0 2 व 3:– तनकी नं0 2 व 3 को भी वादी को ही साबित करना है। दोनो तनकी एक दूसरे से मिली होने से एक साथ निर्णित की जा रही है। ताकि शब्दो का बारम्बार दोहराया नही जा सकें। एक्स 10 जमाबंदी ग्राम किशनपुरा सम्वत 2057–60 में कुल आराजी 2.31 है0 दर्ज है। जिसका तन्हा रजिस्टर्ड खातेदार छीतरलाल दत्तक पुत्र बिरधा दर्ज है। पीडब्ल्यू 1 हेमराज व पीडब्ल्यू 2 लटूरलाल ने भी अपने बयानो में कहां है कि बिरधा व रामनाथ लाऔलाद थे। इसके अलावा अपनी बहस में वकील वादी ने बताया कि छीतर को बिरधा ने अपना पुत्र बना लिया था। इसलिए रेकार्ड में छीतरलाल दत्तक पुत्र बिरधा दर्ज है। अपनी बहस जारी रखते हुए वकील वादी ने कहां कि रामनाथ लाऔलाद थें। उन्होने बचपन में भी अपने भाई ग्यारसीलाल के छोटे पुत्र हेमराज को अपने पास रख लिया था। और पुत्रवत उसकी परवरिस की थी। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होने दिनांक 10.05.1990 को एक वसीयत गवाह पीडब्लयू 1 लटूरलाल व पीडब्ल्यू 2 कन्हैयालाल के समक्ष करवायी थी। वसीयत एक्स 6 अ को प्रमाणित करने वाला गवाह पीडब्ल्यू

[illegible] में भी व जिरह में भी साफ बयान दिया है कि वसीयत मृतक रामनाथ ने [illegible] पढकर सुनाई थी। व सुनने के पश्चात उन्होने निशानी अंगूठा किया था। [illegible] गवाह कन्हैयालाल ने अपना अंगूठा निशानी की थी। इस गवाह ने साथ कहा है कि [illegible] के घर पर लिखा पढी हुयी थी। बिरधा जी के कोई औलाद नही थी। इनकी [illegible] था। वसीयत एक्स 6 अ पर मैंरे हस्ताक्षर अ से ब है। हेमराज रामनाथ के [illegible] है। इस गवाह ने वसीयत लिखने वाले का नाम हेमराज मांगरोल वाला बताया है। [illegible] ने अपनी बहस में पूरा बयान लटूरलाल को पढकर न्यायालय को सुनाया और कहां कि सम्पूर्ण [illegible] अखण्डित रहा है। वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी 2007 पेज नं0 280 [illegible] और कहां कि इस नजीर की रोशनी में वसीयत तहरीर भी हो सकती है, साधा कागज पर भी हो [illegible] है। और रजिस्टर्ड वसीयत भी हो सकती है। जरूरी यह है कि वसीयत का प्रमाणित गवाह न्यायालय में आकर सशपथ बयान दे कि उसके सामने वसीयत लिखी गयी हैं और उसके वसीयत कर्ता के सामने हस्ताक्षर किये है। जैसा कि न्यायिक दृष्टांत डी0एन0 2009 पेज 1 पेश करके वकील वादी ने न्यायालय को बताया। पीडब्ल्यू 1 गवाह हेमराज वादी अपने वाद पत्र की पूर्ण रूप से ताहित करता है। तथा वसीयत एक्स 6 अ दिनांक 10.05.1990 को लिखी गयी थी। उसकी पुष्टि करता है। गवाह पीडब्ल्यू 3 [illegible]शंकर व पीडब्ल्यू 4 बृजमोहन वसीयतनामा के गवाह नही है। लेकिन वह दोनो इस बात की पुष्टि करते है कि हेमराज रामनाथ के मकान में बचपन से ही रहता आ रहा है। तथा आराजी रामनाथ की काश्त करता आ रहा है। और आज भी काश्त कर रहा है। वसीयत की बात उन्होने सुनी है। एक्स प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत किशनपुरा की सरपंच फूमा बाई द्वारा दिया गया है। जिसमें प्रमाणित किया गया है कि हेमराज बचपन से ही रामनाथ के पास रहता था। रामनाथ की पगडी भी हेमराज के बंधायी थी। और अभी भी रामनाथ की आराजी को काश्त कर रहा है। और हेमराज ही रामनाथ मृतक का वारिस हैं। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि गवाह पीडब्ल्यू, 1, 2, 3 व 4 तथा प्रमाण पत्र एक्स 2 ग्राम पंचायत किशनपुरा से यह भलीभांति साबित है कि वसीयत नामा एक्स 6 अ मृतक रामनाथ ने लिखवाया था। तथा हेमराज बचपन से ही रामनाथ के पास रहता आ रहा है और आज भी आराजी को काश्त कर रहा है।

न्यायालय वकील वादी की बहस से संतुष्ट होकर व रेकार्ड के आधार पर वसीयत को प्रमाणित मानता है। तथा यह भी मानता है कि हेमराज बचपन से ही रामनाथ के साथ उसके मकान में निवास कर रहा है। वकील प्रतिवादी के0 के0 सोनी ने वादी की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में बताया कि वसीयत किसने लिखी। लिखने वाले का नाम नही है। वसीयत कर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र मौजूद नही है। इसलिए वसीयत प्रमाणित नही मानी जा सकती और वसीयत फर्जी है। उन्होने अपनी बहस में यह भी बताया कि वादी हेमराज को अपनी गोद की घोषणा दिवानी न्यायालय से करानी चाहिए थी। न्यायालय के मत में

[illegible] मुख्य परीक्षण व जिरह में कहां है कि वसीयत करने वाले को दो–पांच साल से [illegible] भी करते है मांगरोल के रहने वाले है। वसीयत 10–11 वर्ष पहले लिखी थी। [illegible] दर्ज हो गये है। न्यायालय के मत में एक्स 4 जमाबंदी में रामनाथ के मरने के बाद [illegible] दर्ज हुआ था। जिसकी दिनांक 16.07.1998 है। वसीयत दिनांक 10.05.1990 को लिखी [illegible] स्पष्ट है कि रामनाथ की मृत्यु से पूर्व वसीयत लिखी गयी थी। गवाह लदूरलाल ने भी कहां [illegible] रामनाथ ने लिखवायी थी। वसीयत 10–11 वर्ष पहले लिखी गयी थी। मैंने हेमराज को [illegible] में निवास करते हुए देखा है। वसीयत 10–11 वर्ष पूर्व पहले लिखवायी थी और बयान [illegible] को हुए है। लगभग वसीयत लिखने का समय 1990 आ जाता है। इंतकाल नं0 175 [illegible] में दर्ज हुआ है। जो मृतक खातेदार की मृत्यु के बाद दर्ज हुआ है। न्यायालय के मत अनुसार रामनाथ की मृत्यु वसीयत लिखने के बाद हुयी है। तथा इंतकाल दर्ज करने के बाद वादी ने यह वाद पेश किया है। गवाह लदूरलाल ने कहा है कि वसीयत हेमराज मांगरोल वालो ने लिखी है, मै सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर व न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी में इस निष्कर्श पर पहुंचा हूं कि वसीयत एक्स 6 अ प्रमाणित कर दी गई है, उक्त वसीयत अपने जीवन काल में अपनी मृत्यु के पूर्व रामनाथ ने स्वेच्छा से लिखी थी। वादी वसीयत के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना चाहता है। इसलिए वादी को गोद की घोषणा कराने की जरूरत नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वसीयत प्रमाणित है। अतः तनकी नं0 2 व 3 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। वकील वादी ने बहस में बताया कि वादी पीडब्लयू 1 स्वयं कहता है कि वह रामनाथ के पास रहता हैं। तथा उनकी आराजी को काश्त करता है। गवाह पीडब्ल्यू 2, 3 व 4 भी हेमराज द्वारा रामनाथ की आराजी को काश्त करना बताता है। प्रमाण पत्र एक्स 3 के अनुसार भी काश्त वादी हेमराज ही करता है। वकील प्रतिवादी ने ऐसी कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रतीत होता हो कि काश्त गोपाल करता हों। वादी के समर्थन में प्रतिवादी गण 2 लगायत 8 का जवाब दावा भी है। जिसमें कथन है कि काश्त रामनाथ की आराजी को वादी कर रहा है। वर्तमान में भी वादी हेमराज काबिज काश्त है। वादी ने अपने बयानो में कहां है कि वसीयत की फोटोकॉपी के आधार पर इंतकाल खुलवाने वास्ते प्रार्थना पत्र तहसीलदार मांगरोल को दिया था। लेकिन उन्होने मेंरे नाम इंतकाल ना खोलकर इंतकाल नं0 175 दर्ज कर दिया। पूर्व की तनकी में वसीयत प्रमाणित हो चुकी है। मृतक की इच्छा का सम्मान करते हुए वसीयत के आधार पर वादी के पक्ष में इंतकाल तस्दीक होना चाहिए था। वकील के0 के0 सोनी ने विरोध करते हुए कहां है कि इंतकान नं0 175 सही दर्ज हुआ हैं उसमें प्रतिवादी गोपाल का 1/2 हिस्सा है। वसीयत प्रमाणित होने के बाद इंतकाल नं0 175 दिनांक 16.07.1998

[illegible] है। अतः सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर तनकी नं0 4 वादी के पक्ष में विरूद्ध [illegible] की जाती है।

[illegible] इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 1 गोपाल पर था। प्रतिवादी की ओर से [illegible] नही की गयी है। मात्र अपने जवाब दावा में लिखा है। लेकिन जवाब दावा की पुष्टि हेतु [illegible] जरूरी है। वकील वादी ने कहां कि गोद की घोषणा की आवश्यकता नही है। वादी [illegible] के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराना चाहता है। जिसका [illegible] इस न्यायालय को प्राप्त है। वाद का यंह कथन है कि रामनाथ ने उसे पुत्र समान अपने पास [illegible] पुत्र मानते थे। वैसे भी हेमराज रामनाथ के भाई ग्यारसीलाल का पुत्र है जो उनका भी पुत्र समान [illegible] न्यायालय के मत में वादी ने वसीयत के आधार पर घोषणा चाही है। अतः वकील प्रतिवादी का विरोध कोई मान्य नही रखता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 5 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण [illegible] निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6 व 7:– इन दोनो तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 1 पर था। लेकिन उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नही हुई है। वकील वादी की बहस है कि प्रतिवादी कम 2 ता 8 ने पृथक से अधिवक्ता करके जवाब दावा पेश किया है। जो सत्य है। वही बात अपने जवाब दावे में लिखी है। सत्य बात लिखना कपटसंधि नही हो जाती है। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राज0 टी0 एक्ट के तहत पेश किया है। और वसीयत के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराना चाहता है। ना कि गोद पुत्र की घोषणा न्यायालय से कराना चाहता है। उपरोक्त धाराओ में वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 6 व 7 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हैं

तनकी नं0 8:– इंतकाल नं0 175 दिनांक 16.07.1998 में तस्दीक होने से गोपाल प्रतिवादी का नाम 1/2 हिस्सा आराजी पर आया है इंतकाल नं0 दर्ज होने से पूर्व सम्पूर्ण आराजी एक्स 4 खातेदार रामनाथ के नाम दर्ज थी। रामनाथ ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करते हुए वसीयत एक्स 6 अ लिखवायी है। जो पूर्व में प्रमाणित करार दे दी गयी है। वसीयत की रोशनी में इंतकाल नं0 175 स्वतः ही शून्य हो जाता है और शून्य घोषित किया जाता है। तथा 1/2 हिस्सा आराजी अपने खाते दर्ज कराने का अधिकार प्रतिवादी गोपाल का नही रहता हैं। वकील के0 के0 सोनी ने अपनी बहस में बताया कि इंतकाल नं0 175 सही दर्ज हुआ हैं लेकिन इसके समर्थन में उन्होने कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नही किया हैं। जबकि दिनांक 03.12. 2018 को वकील साहब न्यायालय में उपस्थित थे। अगर गवाह हंसराज जो कि गवाह का पुत्र है भी उपस्थित था। लेकिन जान बूझ कर गवाह ना कराकर प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। जो न्यायालय ने दिनांक

[illegible] प्रतिवादी 1/1 ता 1/8 स्वयं अपनी तनकी को साबित नही करना [illegible] तनकी नं0 8 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

[illegible] 8 वादी के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाकर [illegible] है कि वाद नं0 4 में वर्णित आराजी खाता संख्या 164 हाल खाता संख्या 46 ग्राम [illegible] में दर्ज आराजी खसरा नं0 214 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 215 रकबा 0.20 [illegible] रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 628 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 216/955 रकबा 1.08 है0, [illegible] रकबा 0.83 है0 कुल किता 6 रकबा 3.04 है0 का वादी हेमराज पुत्र ग्यारसे [illegible] जाति [illegible] किशनपुरा तहसील मांगरोल को तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है। यह आदेश दिया [illegible] है कि वादी हेमराज के अलावा खाते में अन्य सहखातेदारो के दर्ज नाम खारिज किये जाते हैं। [illegible] प्रतिवादी नं0 1 खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध [illegible] इस आशय की भी प्रसारित की जाती है कि वादी हेमराज के खाते में दर्ज आराजी कुल किता [illegible] रकबा 3.04 है0 में प्रतिवादीगण दखलअंदाजी ना करें। वादी को शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करने देवें। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया